## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00183 (183/2019) 223 आरटीएक्ट

मीरा पत्नी हरचन्द पुत्र स्व0 श्री लालूराम पुत्र खाजिया उम्र 70 वर्ष जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. सुखमन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिह
2. वीरा सिंह पुत्र श्री भूरासिंह
3. सुण्डी धर्मपत्नी श्री लालूराम
4. शेराराम पुत्र श्री लालूराम
5. लच्छूराम पुत्र श्री लालूराम

अकवाम रामदासिया निवासीगण जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ जाति सांसी निवासीगण वार्ड नं. 7 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.09.2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ प्र0 सं0 526/2019 मीरा बनाम सुखमन्द्र सिंह आदि

उपस्थितः–
श्री कैलाश धामू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्रीमती शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 से 5

निर्णय दिनांकः– 0912.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। अपीलार्थीया ने सहायक कलक्अर एव उपखण्डा अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में हरचन्द के नाम से चक 4 जे.डी.डब्ल्यू के संयुक्त खाता प. नं. 92/237 के किला नं. 5–6–15–16–17–24–25 की 7 बीघा भूमि उसे बंटवारा में प्राप्त होना बताया, जिसपर अपना कब्जा काश्त बताते हुए उसे प्रत्यर्थी संख्या 1 को कई साल से ठेका पर देने का कथन किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने 2018 की ठेका राशि नहीं दी जिस पर उसने भूमि उससे छुड़वा ली। अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी संख्या 3 से 5 को कतई गलत रूप से काबिज होना दर्शाकर विवाद पैदा करना शुरू कर दिया। जिस पर पुलिस मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर जबरन काबिज होने का प्रयास कर रहे हैं यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो तो हैं तो प्रार्थीया को अनुर्णीय क्षति होने का कथन करते हुए प्रार्थीया/अपीलाण्टा ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि के संबंध में 3 वाद प्रकरण होना अंकित करते हुए तीनों प्रकरणों मे पक्षकारान द्वारा अपने अपना कब्जा दर्शाते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने

एवं भूमि के संबंध में विवाद की स्थिति गहराने की सम्भावना होने के आधार पर इस प्रकरण में पश्चातवर्ती अस्थाई निषेधाज्ञा 16.09.2019 अनवानी मीरा बनाम सुखमन्द्रसिंह को निरस्त किया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 को ठेका पर देती आ रही थी। वर्ष 2018 की ठेका राशि नहीं देने पर रेस्पोडेण्ट सं0 1 से इस भूमि को छुड़ा लिया जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने सरपंच पति होने व राजनीतिक व आर्थिक रूप से प्रभावशाली होन व इस बात का फायदा उठाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पर बार बार उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा का प्रयास करने व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 5 का कबिज होना दर्शाते हुए विवाद पैदा किया जिसका पुलिस में प्रार्थना–पत्र दिया गया । पुलिस में मुकदमा दायर किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 व अन्य 15–20 व्यक्ति उक्त भूमि में घुस आने और अपीलाण्ट की नरमा की फसल को उखाड़ने व अपीलाण्ट व उसके पुत्रों के विरोध कर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस बुला लने पर पुलिस द्वारा कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट के पुत्र व पुत्रवधू की पिटाई करने पर थाने में गलत रूप से निरूद्ध करने पर रेस्पोडेण्ट सं. 1 व थानाधिकारी व अन्य के विरूद्ध उक्त कृत्य के सम्बन्ध में एफआईआई दर्ज करवाई गई। रेस्पोडेण्ट द्वारा निरन्तर अपीलाण्ट व उकसे पुत्रों के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने एवं जबरन काबिज होने का प्रयास करने का कथन करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। दिनांक 16.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट को पाबन्द करते हुए उनके विरूद्ध अस्थाई जारी फरमाई की वे उक्त वर्णित भूमि में अपीालण्ट के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें। जिसमें आगामी तारीख पेशी 1.11.2019 नियत की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने बिना पत्रावली में पेशी के एक प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिसका जवाब अपीलाण्ट ने प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.09.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया।

4. अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध, एकपक्षी होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुवधिा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दू पर कोई विवेचना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में रस्पोडेण्ट की कोई तलबी नहीं करवाई गई, ना ही कोई तारीख पेशी छोटी की गई, ना ही शीघ्र सुनवाई का कोई प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, ना ही रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने एक व्यक्ति सुखपालसिंह से मिलीभगत कर एक फर्जी कूट रचित तथा बिना अधिकारिता के तैयार किये गये फर्जी ठेकानामा के आधार पर उक्त व्यक्ति के पक्ष में एकपक्षीय स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय को मुगालता में रखकर प्राप्त किया गया था। उक्त स्थगन आदेश को अपीलाण्ट से छुपाये रखा। अपीलाण्ट को उक्त आदेश का कभी कोई ज्ञान नहीं रहा। दिनांक 26.09.2019 को अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शाश्वत व्यादेश के वाद पत्र मीरा बनाम सुखमन्दर सिह आदि में सुखमन्दर सिह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त वर्णित वाद पत्र व स्थगन आदेश व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 28.05.

19 का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। दिनांक 26.09.2019 से पूर्व इस स्थगन आदेश का अपीलाण्ट का ज्ञान नहीं था। आक्षेपित आदेश अपीलाण्ट के पीठ पीछे पारित हुआ हैं। जिसे अपीलाण्ट ने अलग से चुनाती दे रखी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि चक 4 जे.डी.डब्ल्यू. की खाता संख्या 64/59 जमाबंदी संवत 2071–74 के मुताबिक मुश्तर्का खाता पूर्णसिंह वगैरा प. नं. 92/237 की कुल 22 बीघा कृषि भूमि में से 1.771 है. कृषि भूमि जो से 1. 739 है. यानि 6 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि व मृतक श्योकरी के हिस्से की 0.32 है. कुल 1.771 है. कृषि भूमि जो सुन्दर पत्नी स्व लालूराम व शेराराम वगैरह पुत्र लालूराम व शेराराम वगैरह पुत्र लालूराम के हक व हिस्सा की है, के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था। इस भूमि का अपीलाण्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि उक्त विवादित भूमि सुन्दरी वगैरह के हक व हिस्सा की है जो उन्होंने 13. 04.19 से 13.04.2021 तक दो साल के लिए सुखपलासिंह पुत्र भूरासिह को ठेके पर दे दी और इस आशय का ठेकानामा 01.05.2019 को निष्पादित करवा दिया था। उस वक्त अपीलाट वगैरह सुखपाल के कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर कब्जा से बेदखल करने की फिराक में थे तब सुखपाल ने एक वाद सुखपालसिंह बनाम सुन्दर आदि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। उसके साथ धारा 212 आरटीएक्ट वि.रा.सं. 277/2019 प्रस्तुत किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने चक 4 जे.डीडब्ल्यू के खाता संख्या 64/59 के प. नं. 92/237 के किला नं. 5, 6,15, 16, 17, 24, 25 में सुखपाल का कब्जा मातने हुए सुन्दरी व मीरा आदि के खिलाफ स्थगन आदेश इस आशय का जारी किया गया कि सुखपाल के कब्जा काश्त में किसी प्रकार दखलंदाजी करने से निषिद्ध रहे। वह प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा एक वाद पत्र सुन्दरी वगैरह बनाम मीरा वगैरह भी विचाराधीन है। मीरा वगैरह द्वारा उपरोक्त विवादित कृषि भूमि पर बार बार कब्जा का प्रयास करने के कारण उनके खिलाफ फौजदारी कार्यवाहियॉ विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। उपरोक्त सभी मुकदमों में मीरा वैरह जानबूझकर उपस्थित नहीं दे रहे है। और सम्मन तामील से बच रहे हैं। उक्त दोनों मुकदमों की जानकारी मीरा वगैरह को थी। इसके बावजूद उपरोक्त अनवानी वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया और अब जबरन सुखपाल सिंह के कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे हैं और राजनैतिक रंजिशवश प्रार्थी को पक्षकार बनाया गया है जो कि कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है, क्योंकि कृषि भूमि सुन्दर वगैरह के हक व हिस्सा की है जसे प्रार्थी काफी वर्षों से हिस्से ठेके पर लेता रहा था। वर्ष 2019 मे प्रार्थी ने यह भूमि छोड़ दी और सुखपालसिंह पुत्र भूरासिह ने उपरोक्त विवदित भूमि 2 वर्ष के लिए ठेका पर ले रखी है इस भूमि पर मीरा वैरह व प्रार्थी का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। वादीगण ने जानबूझकर समस्त तथ्यों की जानकारी होते हुए मिथ्या कथनों पर आधारित वादपत्र भूमि पर जबरन कब्जा करने के आशय से प्रार्थी को राजनैतिक रंजिशवश झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए उपरोक्त वादपत्र पेश किया है जो वाद पत्र किसी भी तरह से चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में एक ही भूमि के संदर्भ में तीन मुकदमे 202/2018 अनवानी सुन्दर देवी बनाम मीरा देवी, 277/2019 सुखपालसिंह बनाम सुन्दर, 526/2019 मीरा बनाम सुखमन्द्र चल रहे हैं इन तीनों मुदकमों में पक्षकारान द्वारा अपना अपना कब्जा दर्शाते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है। इसलिए इस प्रकरण में पश्चात्वर्ती अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 16.09.2019 अनवानी मीरा बनाम सुखमन्द्रसिंह को निरस्त किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र. प्रस्तुत किया था जिसमें रेस्पोडेण्ट ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्यों के आधार पर अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम खारिज किया गया है। प्रश्नगत भूमि सुन्दरी देवी ने अपने हक हिस्सा की भूमि बताया है जिसका उसके द्वारा ठेकानामा सुखपालसिंह के पक्ष में निष्पादित करवाया गया। सुखपालसिंह के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी होने पर सुखपाल सिह ने एक 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र 277/2019 सुखपाल सिंह बनाम सुन्दर प्रस्तुत किया जिमसें सुखपाल सिह के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने का स्थगन जारी होने का तथ्य बहस में आया है। यह प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त एक प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि के संबंध में 202/2018 अनवानी सुन्दर देवी बनाम मीरा देवी तथा यह 526/2019 मीरा बनाम सुखमन्द्र चल है। इन तीनों मुदकमों में पक्षकारान द्वारा अपना अपना कब्जा दर्शाते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि तीनों प्रकरणेां में पक्षकारान द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की जा चुकी है, जिससे भूमि के संबंध में विवाद की स्थिति और गहराने की संभावना हो सकती है। इस आधार पर उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा इस प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा 16.09.2019 अनवानी मीरा बनाम सुखमन्द्र प्रकरण सं0 526/2019 को निरस्त किया है और इस प्रा0 पत्र को प्रार्थना–पत्र संख्या 301/2019 अनवानी मीरा बनाम सुखमन्द्रसिंह के साथ संलग्न करने के आदेश दिये हैं। इस प्रकरण में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है वहां तक तो ठीक है लेकिन आदेश दिनांक 16.09.2019 को पश्चात्वर्ती आदेश मानते हुए खारिज किया है वह विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब विचारण न्यायालय की जानकारी में यह तथ्य आ गया था कि पूर्व में भी प्रार्थना–पत्र चल रहे हैं तो तीनों प्रकरणों को कंसोलीडेट करके एक साथ ही गुणागवुण पर निर्णय करना चाहिए था जिससे कि निर्णयों में किसी प्रकार का विरोधाभास न हो। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है एव प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.9.2019 निरस्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि कि तीनों वादपत्रों को कंसोलीडेट करते हुए उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.14 18:24:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: